UPMZ010078212026

**न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 06, मुजफ्फरनगर।**

**पीठासीन अधिकारी–** (Smt. Garima Singh-I), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06224**

**जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 3064/2026**

1. दानिश पुत्र खुर्शीद, निवासी मौहल्ला पठानपुरा नजीबाबाद, थाना नजीबाबाद, जिला बिजनौर। बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

अंतर्गत धारा– 318(4), 317(2), 112 बी.एन.एस.
व 13 जुआ अधिनियम
मु0 अ 0 सं0–71/2026
थाना–ककरौली, जिला–मुजफ्फरनगर

**दिनांक–29.06.2026**

1. आवेदक/अभियुक्त दानिश की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो मु0 अ 0 सं0–71/2026, धारा– 318(4), 317(2), 112 बी.एन.एस. व 13 जुआ अधिनियम, थाना–ककरौली, जिला मुजफ्फरनगर के मामले में जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थनापत्र, प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार भाई मौ0 आरिफ के शपथपत्र से समर्थित है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 01.06.2026 को वादी द्वारा इस आशय की तहरीर थाने पर दी गयी कि संदिग्ध वाहन, व्यक्ति की चैंकिग के दौरान एक होण्डा स्कूटी नम्बर यू0 पी0 20 सी0 बाई 0 3210 बेहड़ा सादात चौराहे से थाना गेट की ओर आ रही थी, जिस पर दो व्यक्ति बिना हेलमेट लगाये आ रहे थे। स्कूटी की डिग्गी में रखे थैली को खोलकर चैक किया गया तो कुल 6,13070 रूपये व एक पीली पन्नी भी रखी है जिसे खोलकर देखा गया तो एक सैमसंग ड्यूस कीपैड मोबाइल, 8 डैबिट कार्ट बरामद हुए। सख्ती से पूछने पर एक स्वर में बोले कि साहब जो ये डेबिट कार्ड है ये गांव सालिमपुर कोटरा के लोगो के है, जिनके पासवर्ड मुझे पता है, एवं हम बिना बताये पैसे निकालकर खर्च कर देता हूं। दिनांक 02.06.2026 को संदिग्ध वाहन, व्यक्ति की चैंकिग के दौरान जरिये मुखबिर खास द्वारा सूचना मिलने पर बिजनौर बी0 आई 0 टी0 वाले रास्ते पर अभियुक्तगण सुलेमान व दानिश को पकड़ा गया। सुलेमान की जामा तलाशी में दो मोबाइल सैमसंग मिले, सुलेमान की गाड़ी से एक लैपटोप, एक गूगल पे स्कैनर, एक नोट गिनने की मशीन, चैकबुक बरामद हुए, तथा दानिश की जामा तलाशी में एक मोबाइल, एक फिंगर बायोमैट्रिक मशीन, बरामद हुए। पूछने पर बताया कि हम लोगो का एक संगठन बनाकर

Digitally signed by GARIMA SINGH
Date: 2026.06.30 14:14:10 IST
Reason: Bail Order
Location: District and Sessions Court-6
MZN

क्रिप्टो कंरैन्सी का कारोबार करते है। जिसमें हमारे दो साथी ताजिम व तौफीक दिनांक 31.05.2026 से पैसे लेकर गायब है।

3. जमानत के आधार के रूप मे अभियुक्त के द्वारा यह बताया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त कतई निर्दोष है प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। कथित घटना का कोई पीड़ित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने क्या अपराध किया है। पुलिस ने जो सामान की बरामदगी की है वह प्रार्थी/अभियुक्त का स्वयं का है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त मुकदमा में नामजद नहीं है सहअभियुक्त के पुलिस इकबालिया जुर्म के आधार पर अभियुक्त बनाया है। कथित घटना में केवल सात वर्षों तक की सजा का प्रावधान है जिसमें जमानत दिया जाना न्यायोचित है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं दिखाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 02.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान वाद उचित जमानत पर रिहा फरमाये जाने की कृपा करे।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करते हुए यह कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर लोगो से पैसे डबल करने की बात कहकर वसूलकर तथा ऑनलाईन गेम करते हुए धोखाधड़ी करके एटीएम व पासवर्ड लेकर पैसे हड़पना आदि का आरोप है।अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध किया जाता है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

5. अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। अतः अभियुक्त को जमानत प्रदान की जाये।

6. अभियोजन द्वारा केस डायरी का पर्चा संख्या–1 ता पर्चा संख्या–7 दाखिल किया गया तथा कथन किया गया है कि यह अब तक की सम्पूर्ण केस डायरी है।

7. जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

8. प्रपत्रो के परिशीलन के विदित होता है कि अभियुक्त पर लोगो से पैसे डबल करने की बात कहकर वसूलकर तथा ऑनलाईन गेम करते हुए धोखाधड़ी करके एटीएम व पासवर्ड लेकर पैसे हड़पने, क्रिप्टो करेन्सी का कारोबार करने का आक्षेप है। अभियोजन के अनुसार अभियुक्त के कब्जे से एक मोबाइल फोन, एटीएम स्वाईप मशीन, फिंगर बायोमैट्रिक मशीन बरामद होना बताया गया है। अभियोजन द्वारा बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं बताया गया है। विवेचक द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी के 27–28 दिन उपरान्त भी, दौरान विवेचना

किसी पीड़ित के बयान नहीं लिये गये है, तथा न ही यह बताया गया है कि किसी पीड़ित द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध कोई शिकायत दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त किस प्रकार ऑन लाईन गेमिंग व क्रिप्टो करेन्सी का कार्य करता था, इस सम्बन्ध में भी कोई साक्ष्य, इस स्तर पर सामने नहीं आई है। इस स्तर पर ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं है जो अभियुक्त को किसी गेमिंग अथवा क्रिप्टो करेन्सी की साईट से जोड़ता हो। अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास हो, ऐसा कोई कथन अभियोजन ने नहीं किया है। अभियुक्त दिनांक 02.06.2026 से जिला कारगार में निरुद्ध है। अतः मामले के गुणदोष पर बिना कोई टिप्पणी किए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाने का आधार पर्याप्त है।

**आदेश**

प्रार्थी/अभियुक्त दानिश की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक अभियुक्त को उसके द्वारा अंकन 70,000/– रूपये (सत्तर हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि के एक विश्वनीय प्रतिभू निष्पादित करने पर सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर निम्न शर्तो पर रिहा किया जाता है–

1– प्रार्थी/अभियुक्त गवाहो को डराने/धमकाने अथवा प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा।

3– प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने व्यक्तिगत बंध पत्र पर तथा जमानतनामें के द्वारा बंध पत्र पर अपना आधार नम्बर तथा चालू मोबाईल नम्बर अंकित किया जायेगा।

4– प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के द्वारा नियत की गई प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

जमानत आदेश की प्रति द्वारा ई–मेल जिला कारागार मुजफ्फरनगर प्रेषित की जाये।

**(गरिमा सिंह प्रथम)**
अपर जनपद व सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–06, मुजफ्फरनगर।
J.O. Code –UP06224